महत्वपूर्ण एवं खास

नौकरी लगाने का झांसा देकर बनाता रहा शारीरिक संबंध, जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सारंगढ़ में 21 वर्षीय युवती द्वारा 442/19 376 अमलीडीपा थाना सारंगढ में आरोपी अभय चौहान द्वारा नौकरी दिलाने के नाम से लगातार शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। पीडिता ने बताया कि वर्ष 2018 में अभय चौहान जंगल विभाग मे प्राईवेट मजदूरी का काम करता था। वर्ष 2018 माह जुलाई अगस्त में अभय इसे मजदूरी कराने के लिये ले गया। इस दौरान अभय चौहान वन विभाग में शासकीय नौकरी लगाने का लालच देकर जबरन दिनांक 15.09.18 को शारीरिक संबंध बनाया उसके बाद लगतार शारीरिक संबंध बनाया और जब युवती शादी करने की बात कहती तो दोनों नौकरी करेंगे तब शादी करेंगे कहकर टाल देता। अब आरोपी द्वारा शादी से इंकार करने पर युवती द्वारा आरोपी के विरूद्ध थाना सारंगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी रैरूमा (थाना धरमजयगढ़) में दिनांक 21.09.19 को 29 वर्षीय युवती द्वारा अनिल दास महंत पिता जनपद दास महंत उम्र 29 साल निवासी रैरूमा शादी का प्रलोभन देकर वर्ष 2013 से शारीरिक संबंध स्थापित करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है, पीडिता ने बताया कि अब अनिल दास महंत शादी करने से इंकार कर रहा है। आरोपी के विरूद्ध थाना धरमजयगढ़ में धारा 376 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

जल, जंगल, जमीन के विस्थापन से सुलगता तमनार

» प्रशासन की कार्यवाहियों से उपज रहा असंतोष » दिनॉक 22 सितंबर 2019 की बैठक में महाजेंको हेतु आयोजित आगामी जनसुनवाई पर मुखर विरोध होने की आशंका

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्रामवासियों ने बैठक में बताया कि, कांग्रेस सरकार ने सत्ता सम्भालनें से पूर्व कहा था कि इस क्षेत्र की जनता यदि नहीं चाहेगी तो किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं किया जाएगा, लेकिन अब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में जहाँ एक तरफ पर्यावरणीय समस्या दिन-ब-दिन गम्भीर होती जा रही है। वही दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से जल,जंगल,जमीन उजाड़े जाने का क्रम भी बदस्तूर जारी है।। इस कड़ी में रायगढ़ जिले के तमनार ब्लाक के एक दर्जन गांवों को महाजेंको के कोल ब्लाक की स्थापना के लिए उजाड़ा जाना है। विस्थापन की इस प्रक्रिया को लेकर तमनार कोल ब्लाक प्रभावित करीब 30 हजार ग्रामीण 27 सितंबर 2019 को ग्राम डोलेसरा गांव में सम्पन्न होने वाली महाजेंको के जनसुनवाई का विरोध करने की तैयारी में है।

इस बात को लेकर तमनार के हजारों ग्रामीण ने यह तय किया है कि 30 हजार ग्रामीण जनसनुवाई का विरोध तो करेंगे। यह भी जाहिर किया गया कि उनकी इस लड़ाई में जिस तरह से राज्य की दोनो राजनीतिक पार्टियों ने उनके साथ धोखा किया है, अतः वे राज्य में आगामी दिनों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस बात का संदेश तमनार के ग्रामीणों ने विगत दिनों विराट हुंकार रैली निकाल कर दे दिया था। जबकि विरोध को लेकर उनके द्वारा कई चरणों मे अलग-अलग बैठकें आयोजित की जा रही है।

राजेश त्रिपाठी जनचेतना मंच ने न्यायसाक्षी से बात करते हुए स्पष्ट किया जब राज्य और केंद्र सरकार के लिए पेसा कानून का कोई महत्व नही रहा और वो निजी कंपनियों के हित मे जल,जंगल,जमीन बेचने को तैयार हो गई हो तो,क्यों न हम ग्रामीण सीधे तौर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध करें।

महाजेंको अडानी की जनसुनवाई के विरोध में तमनार के मंगल भवन, साहू सदन में ग्रामीणों, बुद्धिजीवियों के अलावा स्थानीय राजनीतिक दल के नेताओं के बीच आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिस पर ग्रामीणों के साथ देते हुए सभी लोगों ने साफ तौर पर कहा कि वे किसी भी शर्त या बहकावे में विस्थापन का दर्द सहने को तैयार नही है। महाजेंको की स्थापना के लिए प्रशासन ने जो ख़ाख़ा तैयार किया है, उसके तहत् 15 से 20 हजार ग्रामीणों को तमनार से 120 किमी दूर सरिया-सोहेला की सीमा में विस्थापित करने की तैयारी है , यह उन्हें कतई स्वीकार नही है। वे विस्थापन और सरकारी पुनर्वास की दसियों दुर्दशा विगत सालों में देख चुके है,अब तमनार की बची खुची जल,जंगल जमीन और प्राकृतिक सम्पदा का सौदा नही होने देंगे। जबकि स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि लैलूंगा के कांग्रेसी विधायक चक्रधर सिंह सिदार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो स्वयं महाजेंको के गैरकानूनी जन- सुनवाई का विरोध करते हुए ग्रामीणों के पक्ष में खड़े होंगे।

रमेश अग्रवाल जनचेतना मंच ने कहा कि आप देखिए कि राजनीतिक लोगो के साथ मीडिया समूह ने हमे हमारे जल,जंगल जमीन बचाने के प्रयास को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि महाजेंको के जनसुनवाई अवैधानिक है,और हम जनचेतना के लोग ग्रामीणों के साथ कम्पनी की प्रस्तावित जन सुनवाई का विरोध करते हैं।

आज की बैठक में शामिल हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय संविधान के तहत् अनुसूचित क्षेत्र में बिना सहमति के विस्थापन न्यायोचित नहीं है। पेसा कानून 1996 में अनुसूचित क्षेत्र से ऐसे अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है जो संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निहित हैं। ग्रामसभा को पेसा कानून के तहत् बहुत से अधिकार हैं, जिनको ओव्हर-लुक किया जाना ठीक नहीं है। यदि पॉचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अपनी जमीन नहीं देना चाहते तो जबरदस्ती किया जाना पेसा कानून का उलंघन है। पेसा कानून की धारा 4 घ में प्रस्तावित है कि हर ग्रामसभा अपने सामुदायिक संसाधनों के प्रथागत तरीकों की सुरक्षा एवं संरक्षा करने के लिए सक्षम होगी, ग्रामसभा का अनुमोदन नहीं हुआ तो इस कानून का पालन नहीं किया जा रहा, यह न्यायोचित नहीं है। आज की बैठक में विनोद बाबा, बसंत पटनायक, कृष्णा साव, हरिहर पटेल, सविता रथ, बिहारी पटेल, रामेश्वर शमरथ, दुलेन्द्र पटेल, मुकंद मुरारी पटनायक, लाभोराम राठिया, सुरेन्द्र सिदार, राजेश पटेल एवं प्रभावित क्षेत्र के हजारों किसान महिला साथी शामिल हुए।

पुलिस बनकर दो अज्ञात व्यक्तियों ने महिला को ठगा, जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। जानकारी के अनुसार बेनर्जी हाउस कार्मेल स्कूल के सामने जगतपुर में रहने वाली निर्मला साहू आज दिनांक 22-09-2019 को सुबह 06:30 बजे घर से घुमने के लिए निकली थी घुमते हुए करीब 07:00 बजे श्याम पेट्रोल पंप के पास पहुची, जहां मोटर सायकल में खडे दो अज्ञात व्यक्तियों ने इसे रोका और बोले हम पुलिसवाले है, अपना आई कार्ड दिखाये और बोले कि आज ही एक मुंदिर में किसी महिला का मर्डर हुआ है आज जो इस तरह के जेवर पहन कर घुम रहे है उसे उतरा कर रखने के लिये बोल रहे हैं। तुमको जुर्मना लग जायेगा और उनके कहने पर निर्मला साहू ने अपने गले में पहने सोने के चैन एवं एवं अंगुठी दो नग को उतरा दी। तब दोनों अज्ञात व्यक्ति इसके चैन और अंगुठी को मांगकर कागज में लपेट कर इसके साडी के पललू में बांधने का नाटक किये और दोनों मोटर सायकल से भाग गये। जब निर्मला साहू घर पहुची तो अपने साडी के पल्लू को खोलकर देखी उसके सोने का चैन व अंगुठी नही था। दोनो व्यक्ति पुलिस बनाकर धोखाधड़ी कर चैन एवं दो नग अंगुठी को ठगकर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 793/19 धारा 420, 34 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium)
में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए
गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार

मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य बिन्दु

पीड़ित संपर्क करें

अन्य बिन्दु

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षो से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM

For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

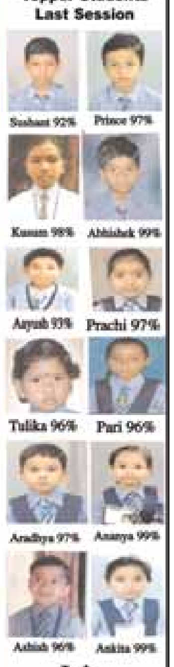

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480